महाराणा प्रताप और जनजातीय संस्कृति को समर्पित दो नए पर्यटन सर्किट शुरू करेगी सरकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 200 करोड़ रुपए की इन दोनों परियोजना पर चर्चा की

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और जनजातीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के रूप में दो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू करने जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में इन दोनों परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन संप्रभुता, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। उनकी वीरता और शौर्यगाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये की लागत से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है। इसमें चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थल शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर महाराणा प्रताप और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास पर चर्चा की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

- 100 करोड़ रु. की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल होंगे।
- ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट पर भी 100 करोड़ रु. खर्च होंगे, इसमें सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृ कुण्डिया, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम जैसे स्थल शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि इन स्थलों का विकास न केवल इतिहास के संरक्षण में सहायक होगा, बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री शर्मा ने निर्देश दिए कि हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप के स्वामीभक्त घोड़े चेतक का एक भव्य स्मारक बनाया जाए। इसके साथ ही हल्दीघाटी के युद्ध को थ्रीडी तकनीक और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि पर्यटक उस ऐतिहासिक पल को महसूस कर सकें।

चावंड स्थित महाराणा प्रताप के समाधि स्थल को भव्य रूप देने और दिवेर में ऐतिहासिक विजय की स्मृति में विजय स्तंभ के निर्माण के निर्देश भी दिए गए। गोगुंदा, दिवेर और चित्तौड़गढ़ में प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों पर स्मृति-चिन्ह और स्मारकों के विकास की योजना भी बनाई गई है।

राजस्थान सरकार जनजातीय समुदाय की गौरवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ रुपये की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृ कुण्डिया, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम जैसे स्थल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बेणेश्वर धाम पर माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर हर वर्ष विशाल आदिवासी मेला आयोजित होता है, जिसे और सुव्यवस्थित किया जाएगा। घाटों और मूलभूत सुविधाओं को नया स्वरूप दिया जाएगा।इसके अलावा, बजट घोषणा के अनुरूप डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोटा में जनजातीय नायकों के स्मारक बनाए जाएंगे, जिससे आदिवासी समाज की ऐतिहासिक भूमिका को उचित सम्मान मिल सके।

इस समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार का यह प्रयास राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को न केवल संरक्षित करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

मंत्री किरोड़ी मीणा और विधायक गोठवाल के बीच तीखी नोकझोंक

भाजपा विधायक दल की बैठक में हुए इस विवाद को मुख्यमंत्री ने दखल देकर शांत कराया

-विधानसभा संवाददाता-

- इस घटनाक्रम के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे का विधायक दल की बैठक में शामिल न होना भी चर्चा का विषय रहा
- जबकि सोमवार को वसुंधरा राजे विधानसभा में नजर आई थीं और पार्टी विधायकों के साथ बैठकें की थीं, साथ ही स्पीकर देवनानी से भी मुलाकात की थी। खराबे और अब कानून-व्यवस्था के नाम पर सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया गया।

जयपुर। राजस्थान में भाजपा के अंदरूनी मतभेद एक बार फिर सतह पर आ गए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बुलाई गई भाजपा विधायक दल की बैठक का माहौल उस समय गर्मा गया, जब कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और सवाई माधोपुर से विधायक जितेंद्र गोठवाल के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ा कि तू-तड़ाक की भाषा तक पहुंच गया, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री को बीच में आकर हस्तक्षेप करना पड़ा।

बैठक सुबह 10 बजे विधानसभा परिसर में शुरू हुई थी। सूत्रों के अनुसार, विधायक जितेंद्र गोठवाल ने बैठक के दौरान पीएचईडी विभाग से जुड़े एक अधिकारी की शिकायत की, यह कहते हुए कि वह उनका काम नहीं कर रहा है। इस पर मंत्री किरोड़ी मीणा ने उन्हें फटकारते हुए कहा, तुम फालतू बकवास करते हो। इसके बाद गोठवाल ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए तीखा जवाब दिया। दोनों नेताओं के बीच तू-तड़ाक की स्थिति बनने लगी, जिसे देख मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा। इस घटनाक्रम के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे का बैठक में शामिल न होना भी चर्चा का विषय रहा। सोमवार को वे विधानसभा में नजर आई थीं और पार्टी विधायकों के साथ बैठकें की थीं, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से भी मुलाकात की थी। लेकिन मंगलवार को हुई विधायक दल की बैठक में उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में सहयोगी रहे अभियुक्त को 20 साल की कैद

- जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 6 साल पहले नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया
- अदालत ने अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है

जयपुर (कासं)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 6 साल पहले नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में सहयोग करने वाले अभियुक्त महेश कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने 18 साल से कम उम्र की पीडिता के जंगल से घर लौटते समय मुख्य अभियुक्त की ओर से उसका अपहरण करने और बाद में दुष्कर्म करने में सहयोग किया। मौजूदा समय में छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म के अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे में अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त के लिए किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। मामले में पॉक्सो कोर्ट मुख्य अभियुक्त को 2021 में ही सजा सुना चुकी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि पीडिता के पिता ने 29 मार्च 2019 को फागी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह 8 बजे काम पर गया था और घर पर उसकी 17 साल की बेटी अकेली थी। वह सुबह 11 बजे जब किसी काम से घर लौटा तो उसकी बेटी वहां पर नहीं मिली। उसने पीडिता की सभी जगह तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। उसे शक है कि उसका रिश्तेदार ही उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वह 19 फरवरी को भी उसे ले गया था, तब परिजनों ने समझा दिया था, लेकिन उसने दुबारा अपराध किया है। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी को 15 मई 2019 को हैदराबाद से गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। जांच में पता चला कि अभियुक्त महेश ने भी अपहरण व दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को सहयोग किया था।

विधानसभा में "कैमरा विवाद" गर्माया

विपक्ष की सीटों के ऊपर लगाए गए अतिरिक्त कैमरों को लेकर कांग्रेस ने सदन में हंगामा और विरोध किया

-विधानसभा संवाददाता-

- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा "इन कैमरों के जरिए विपक्ष के विधायकों की व्यक्तिगत बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है, यह निजता का हनन है।"
- वहीं, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए कहा "सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है। यह एक सार्वजनिक मंच है जहां सबकी गतिविधियां पारदर्शी होनी चाहिए। कैमरों से निजता का हनन कैसे हो गया?"खराबे और अब कानून-व्यवस्था के नाम पर सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया गया।

जयपुर । राजस्थान विधानसभा में सोमवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस विधायकों ने विपक्ष की तरफ अतिरिक्त कैमरे लगाए जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया। विपक्ष ने इसे "निजता का हनन" बताया और सरकार पर विपक्ष की निगरानी करने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा विधायकों ने पलटवार करते हुए इसे कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करार दिया।

विधानसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस विधायकों ने सदन में विपक्षी बेन्चों के ऊपर लगाए गए अतिरिक्त कैमरों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इन कैमरों के जरिए विपक्ष के विधायकों की व्यक्तिगत बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

टीकाराम जूली ने कहा, यह केवल निगरानी नहीं, बल्कि हमारे निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। सदन में हमारे ऊपर कैमरे लगा दिए गए हैं, हमारी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है। अगर सब कुछ पारदर्शी रखना है तो फिर इन कैमरों की फुटेज यूट्यूब पर लाइव क्यों नहीं की जाती?

वहीं कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ने सवाल उठाया कि आखिर ये अतिरिक्त कैमरे किसकी अनुमति से लगाए गए।

उन्होंने कहा, यह केवल विपक्ष का नहीं, पूरे सदन की गरिमा का प्रश्न है। ऐसी परंपरा शुरू करना बेहद खतरनाक है। स्पीकर की अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता।

इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, निजता तो एक बहाना है, कांग्रेस विधायक सदन में धरना देते हैं, पैर दबवाते हैं, और रात में कुकृत्य की कोशिश करते हैं।

कैमरे लगाने का विरोध इसलिए है कि वे अपने आचरण को छिपा सकें।वहीं, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कैमरा लगाने को लेकर विपक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए कहा, सदन कोई बेडरूम या बाथरूम नहीं है।

यह एक सार्वजनिक मंच है जहां सबकी गतिविधियां पारदर्शी होनी चाहिए। कैमरों से निजता का हनन कैसे हो गया?हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बार-बार विपक्ष को संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस विषय पर आसन की तरफ से जल्द ही औपचारिक व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन विपक्ष के सदस्य लगातार हंगामा करते रहे और कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे।

विद्यार्थियों को सुरक्षित भवनों में पढ़ाने की व्यवस्था का रोडमैप पेश करे सरकार : हाईकोर्ट

- अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को भी मौका निरीक्षण के निर्देश दिए

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह रोडमैप पेश कर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी उचित और उपयुक्त भवन मुहैया कराने की जानकारी दे। इसके साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अध्ययन के काम आ रही स्कूलों और पढाई के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई वैकल्पिक व्यवस्था का 15 सितंबर से 18 सितंबर के बीच रेंडम सर्वे कर अदालत में इसकी रिपोर्ट पेश करे। प्राधिकरण सचिव इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के दूर-दराज वाली स्कूलों का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान अदालत ने संबंधित कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों सहित जिला शिक्षा अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत मामले में 19 सितंबर को सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने प्रमुख शिक्षा सचिव का शपथ पत्र पेश किया। महाधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश की कई जर्जर स्कूल चिन्हित कर वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को वैकल्पिक स्थानों पर पढाया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि अब बच्चे टीन शेड के नीचे पढ रहे हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा की स्कूल भवनों की उचित व्यवस्था करने की क्या व्यवस्था है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को रोडमैप पेश कर कोर्ट को इसकी जानकारी देने को कहा है। वहीं अदालत ने मौजूदा हालातों को जानने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि झालावाड की एक स्कूल का भवन गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद अदालत ने मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। वहीं गत सुनवाई पर अदालत ने जर्जर भवनों में पढाने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। वहीं प्रमुख शिक्षा सचिव से वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी पेश करने को कहा था।

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिग्री के

(ओ. 21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत किराया प्राधिकरण मुकाम जयपुर महानगर, द्वितीय

नरेश चन्द्र शर्मा बनाम कमल कुमार वगै.

डिग्री बाबत

मुकद्दमा नं. C 141/24

सन् 20

बनाम - मुसम्मी 1. श्रीमति मुस्कान पत्नि स्व. कमल कुमार, 2. सुश्री ईशिका पुत्री स्व. कमल कुमार जरिये माता श्रीमति मुस्कान पत्नि स्व. कमल कुमार, 3. रौनक पुत्र स्व. कमल कुमार, 4. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. हरि राम, 5. श्रीमति रेखा पत्नी स्व. हरिराम कौम सिन्धी साकिन प्लॉट नं. 113-बी, कंवर नगर, चांदी की टकसाल, जयपुर... चूंकि डिक्रीदार ने डिग्री अदालत . ... मवर्खे ....व मुकद्दमे नं. ....सन् 20 .. . की इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में 15.09.2025 को हाजिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजाजत किये जाने डिग्री रखते हो तो पेश करो आज व तारीख 09 माह 09 सन् 2025 व शब्द मेरे दस्तखत मुहर अदालत के जारी किया गया।

आज्ञा से
रीडर
किराया अधिकरण
जयपुर महानगर-द्वितीय
(मुहर)

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मै आर्मी नंबर JC-473709Y नायब सूबेदार सतीश सिंह यूनिट 17 राजरिफ (सवाईमान) हैं। मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरी माताजी का नाम शांति देवी (SANTI DEVI) और जन्म दिनांक 01 जुलाई 1965 है जो कि गलत है। मेरी माताजी का सही नाम शांति (SANTI) और जन्मदिनांक 01 जनवरी 1960 है।

मै आर्मी नंबर JC-473709Y नायब सूबेदार सतीश सिंह यूनिट 17 राजरिफ (सवाईमान) है। मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम बृजेन्द्र सिंह (BRIJENDRA SINGH) और जन्म दिनांक 01 जुलाई 1960 है जो कि गलत है। मेरे पिताजी का सही नाम विजेन्द्र सिंह (VIJENDRA SINGH) और जन्मदिनांक 01 जनवरी 1950 है।

मैं आर्मी नं. 15178928X नायक (ओ पी आर) पी गौस खान यूनिट 199 मध्य रेजीमेंट है मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरी पत्नी का नाम पी सलमा बेगम (P. Salma Begum) है जो कि गलत है मेरी पत्नी का सही नाम पठान सलमा बेगम (Pathan Salma Begum) है।

I Manoj Kumar S/o Rajendra Singh R/o 466, Near Mohkam Singh Hospital, SPM Nagar, Bharatpur, Rajasthan - 321001, have changed my name to Manoj Kumar Fauzdar

I Bijendra Singh Gurjar S/o Man Singh Gurjar R/o Petrol pump ke pass, Umren, Alwar (Raj.)-301001 declare that in my Daughter's (Pooja Gurjar) my name is entered wrongly as Bijendra Singh. My correct name is Bijendra Singh Gurjar. Vide affidavit 09.09.2025 Jaipur

I Shanti Devi Meena W/o Lalaram Meena R/o Jamwaramgarh, Basna, Jaipur, Rajasthan. Declare that in my Son's (Aryan Meena) education records my name is entered wrongly as Santosh Devi. My correct name is Shanti Devi Meena Vide affidavit 24.08.2025 Jaipur

लोक सूचना कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन-12, जविप्रा, जयपुर

क्रमांक 90A/JDA/2025-26/100220 दिनांक-08.09.2025

श्री ARUN YADAV पुत्र श्री KAILASH YADAV जाति YADAV निवासी GOVIND NAGAR SIRSI ROAD JAIPUR OPP-MAHARSHI ARVIND COLLEGE श्री SHANKAR YADAV पुत्र श्री KAILASH YADAV जाति YADAV निवासी GOVIND NAGAR SIRSI ROAD JAIPUR OPP-MAHARSHI ARVIND COLLEGE ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तह. व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रुपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	सिरसी, (जयपुर)	(2.) अरुण कुमार यादव पुत्र कैलाश यादव हिस्सा 1625 /4676 जाति अहीर (यादव) नि. 241 गोविन्द नगर/ सिरसी रोड जयपुर खातेदार 3.) शंकर यादव पुत्र कैलाश यादव हिस्सा 1625/ 4676 जाति अहीर (यादव) नि. 241 गोविन्द नगर सिरसी रोड जयपुर खातेदार 1) अनिता यादव पत्नि अरुण कुमार यादव हिस्सा 713/4676 जाति अहीर (यादव) नि. प्लॉट नं 100 यादव भवन गोविन्द नगर सिरसी मोड महर्षि अरविन्द कॉलेज के सामने जयपुर खातेदार 4.) सुशीला यादव पत्नि शंकर यादव हिस्सा 713/4676 जाति अहीर (यादव) नि. प्लॉट नं 241 यादव भवन गोविन्द नगर सिरसी मोड महर्षि अरविन्द कॉलेज के सामने, जयपुर खातेदार	2600/ 2561	0.2338	0.1625
				कुल	0.1625

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90 - A For Jaipur Development Authority (JDA) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08-09-2025 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी जोन-12,जविप्रा

अट्ठाईसवीं पुण्यतिथि

स्व. श्री सतीश चन्द्र जी अग्रवाल

- सदस्य: राजस्थान विधान सभा–1957-1972
- सांसद सदस्य: लोक सभा–1977-1984
- वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार –1977-1979
- सांसद एवं उपनेता: भाजपा, राज्य सभा–1994-1997
- वरिष्ठ अधिवक्ता

27.9.1928 - 10.9.1997

शत –शत नमन

RA&SS

सतीश चन्द्र अग्रवाल मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट

खोया पाया

प्लॉट नंबर 5, भास्कर एन्क्लेव, एफ-ब्लॉक, ग्राम चोलसा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर के मूल लीज डीड में पर्जेन्टेशन एडोसमेन्ट व एडोसमेन्ट एक्जयूकेशन पेज और मूल पावर ऑफ अटोर्नी दिनांक 16.08.2023 लक्ष्मण गुर्जर के नाम से है। कहीं गुम हो गई है मिलने पर सूचित करें। 8690739830

मेरे प्लाट ए-384 रघुनाथ विहार जेडीए स्कीम का मूल आवंटन पत्र व कब्जापत्र हीरापुरा जयपुर में कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें गीता यादव-7020011491

प्लॉट संख्या डी-163 अंसल सुशांत सिटी प्रथम, माचवा, कालवार रोड का अंसल बायर एग्रीमेंट, बुकलेट खरीद के अधिकार में परिवर्तन लेटर एवं प्लॉट हस्तान्तरण पेपर खो गये है मिलने पर सूचित करें। शंकरलाल शर्मा-7976203143

आवास संख्या 55/110 का मूल आवंटन क्रमांक नं. 204 दिनांक 30.04.92 व क्रमांक 2256 दिनांक 22.07.92 पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। मोहन प्रकाश मो. 9414442418

आवास संख्या 69/304 मानसरोवर जयपुर का मूल कब्जा पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। अब्दुल मलिक मो.9314505799

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अंकुर व्यास पुत्र श्री योगेन्द्र व्यास, निवासी प्लॉट संख्या-35 गोविन्द नगर-ए, गोविन्दपुरा, जयपुर के पिता श्री योगेन्द्र व्यास जी के स्वामित्व का प्लॉट संख्या- 189 जीवन विहार, हीरावाला जमवारामगढ रोड, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज जो कि अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नम्बर 2608/एल सहकारी द्वारा आवंटित किया गया था, का मूल आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान दिनांकित 18.07.1996 कही खो गये है जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त दस्तावेज प्राप्त हो गये है तो वह मेरे अभिभाष्य को अथवा मुझसे सम्पर्क कर लौटा देवे तथा मेरे अभिभाष्य द्वारा सोसायटी से डुप्लीकेट पट्टा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया है किसी भी व्यक्ति/संस्था को डुप्लीकेट पट्टा जारी करवाये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

जयपुर
दिनांक
(विमल शर्मा) एडवोकेट
मो.-9352407193

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक प्लाट नम्बर जी-192, जयपुर ग्रीन योजना, ग्राम झांई, भम्भोरिया, चतरपुरा, एवं लाल्या का बास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिस पर मेरे पति श्री राजवीर सिंह चौहान ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त प्लाट के असल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में रहन (MORTGAGE) कर रखे हैं। यह कि मेरे पति श्री राजवीर सिंह चौहान का दिनांक 15/06/2025 ईस्वी को स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त प्लाट के पेटे लिये हुये ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को की जा चुकी है, इसलिये अब मैं उक्त प्लाट के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहती हूँ यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवस तक की अवधि में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सी-25, भगवान दास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान में सम्पर्क करें। सूचित रहें। (फोन नम्बर 0141-6480799)

(दीपिका सिंह)
सी-42, राणा कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर, राज. मो. न.-6280497849

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-9/235137/2025डी-3456 **आम सूचना** दि. 04.09.2025

शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना चित्रकूट नगर के भूखण्ड संख्या 36 क्षेत्रफल 200.00 व.ग. का आवंटन पत्र दिनांक 30.04.1990 को समिति द्वारा प. श्रीनारायण शर्मा पुत्र बाला सहाय शर्मा के नाम से जारी किया गया है। दिनांक 05.10.2007 को श्री नारायण शर्मा का निधन हो गया। आवेदिका श्रीमती प्रेम लता शर्मा सादा पेपर पर शपथ पत्र के माध्यम से स्वयं को, पुत्र राजेश कुमार शर्मा, उमेश कुमार शर्मा, सर्वेश कुमार शर्मा एवं पुत्रियां सुषमा शर्मा, सीमा शर्मा के नाम से वारिसनामा संलग्न किया गया है। तत्पश्चात् रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 12.06.2025 को श्री राजेश कुमार शर्मा, उमेश कुमार शर्मा, सर्वेश कुमार शर्मा पुत्रान् श्रीनारायण शर्मा एवं सुषमा शर्मा, सीमा शर्मा पुत्रियां श्रीनारायण शर्मा द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग अपनी माताजी श्रीमती प्रेम लता शर्मा के हक में कर दिया गया। आवेदिका द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पास से समिति द्वारा जारी जमा राशि की रसीद कहीं गुम हो गयी है। जिसमें खोया पाया का प्रकाशन एवं थाने में ऑन लाईन रिपोर्ट दर्ज करा प्रति प्रस्तुत की गयी है। आवेदिका श्रीमती प्रेम लता शर्मा द्वारा आवंटन पत्र साईट प्लान प्रस्तुत कर लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्रार्थीया द्वारा शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना चित्रकूट नगर के भूखण्ड संख्या 36 क्षेत्रफल 200.00 व.ग. का लीजडीड जारी किये जाने के सम्बंध में कार्यवाही की जानी है। इस सम्बंध में किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अधीन प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त भूखण्ड का लीजडीड जारी किये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी। उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/587

चूंकि प्रार्थी श्री SURENDRA SINGH DOBAR, 69 B, DURGA MARG, SHIV COLONY, VAISHALI NAGAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास ADARSH BADVA RAO CHATRAVAS BAHUUDASIYA TRUST, JAIPUR, PLOT NUMBER 7 SHREE BALAJI FARM, GRAM RAMJIPURAWAS NEVTA, NEVTA के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 03-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 11/11/2025

(मोहर अदालत)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

न्यायालय : जिला न्यायाधीश जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक : 151 हुक्मनामा दिनांक : 26.08.2025

बनाम

(1) दीपक गोयल पुत्र स्व. श्री जगदीश चंद, निवासी 78, दीप्ति अपार्टमेंट, रोड़ नं. 44, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 अन्य पता- एच 32/103 सेक्टर 3, रोहिणी न्यू दिल्ली-110085 (2) मुकेश कुमार मीणा पुत्र मुरारी लाल मीणा, निवासी फ्लेट नंबर 201 जगमोहन गोल्डन फोर्चयून अपार्टमेंट, बापू नगर, जयपुर, राज.। अन्य पता- वार्ड नं. 17, सूरजगढ़ रोड़ पिलानी, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनु, राज.-333031 (3) श्रीमती सुमन मीणा पत्नी मुकेश कुमार मीणा, निवासी फ्लेट नंबर 201 जगमोहन गोल्डन फोर्चयून अपार्टमेंट, बापू नगर, जयपुर, राज.। अन्य पता- बालाजी मंदिर के पास, सूरजगढ़ रोड़ पिलानी, जिला झुंझुनु, राज.-333031 (4) श्रीमती चंचल गोयल पत्नी दीपक गोयल, निवासी 78, दीप्ति अपार्टमेंट, रोड़ नं. 44, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 अन्य पता- मकान नं. 4ए, एसएफएस फ्लेट्स, ब्लॉक जेडी, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

...अप्रार्थीगण

विषय : इस न्यायालय के दीवानी विविध प्रकरण (अस्थाई निषेधाज्ञा) संख्या 27/2025, एन.सी.वी. नं. 74/2025, उनवानी आशीष अग्रवाल बनाम दीपक गोयल व अन्य में आदेश दिनांक 10.07.2025 की पालना बाबत्। आगामी पेशी 29.09.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त दीवानी विविध प्रकरण (अस्थाई निषेधाज्ञा) में आप अप्रार्थीगण है। प्रकरण में दिनांक 10.07.2025 को आपके बावजूद तामील अनुपस्थित होने से आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आपको जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है कि आप आयन्दा पेशी तक वादग्रस्त सम्पत्ति को किसी प्रकार से अंतरित नहीं करें। सूचित रहें। यह हुक्मनामा आदेश दिनांक 10.07.2025 व 20.08.2025 के अनुसरण में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 25.08.2025 को जारी किया गया।

(मुद्रा) जिला न्यायाधीश जयपुर जिला, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूचि संख्यांक 4

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थान चौमूँ जिला-जयपुर श्रीमती स्वाती पारीक

बनाम कमल पुरोहित

प्रार्थना पत्र विवाह विच्छेद याचिका संख्या 57/2025

बनाम अप्रार्थी कमल पुरोहित पुत्र श्री रमेश चन्द पुरोहित, जाति पारीक, निवासी सी-45, आदित्यनगर, मंगलम् सीमेन्ट, मोड़क, तहसील रामगंज मण्डी, जिला-कोटा हाल निवासी रामेश्वरम कॉलोनी, पुराना बस स्टेण्ड रींगस, सीकर, राजस्थान।

प्रार्थीया ने इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुत की है।

अतः आपके चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 29.09.2015 को 10.30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

आप सब अप्रार्थीगण को यह आवश्यक एवं एक मात्र अन्तिम अवसर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है।

यह आज दिनांक ....8/9/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

दिनांक 8/9/2025

(मोहर अदालत) न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौमूं, जिला-जयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत आदलवाडाकंला, पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक-2025-26/69 दिनांक-04.09.85

ई-निविदा सूचना संख्या-04/2025-26

पंचायत समिति चौथ का बरवाडा के अधीन ग्राम पंचायत आदलवाडाकलां में सांसद कोष राज्य वित्त आयोग षष्ठत ग्राम पंचायत मदयोजनान्तर्गत निम्न कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरें (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग) निविदा से संबंधित नियम, शर्ते एवं सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।

NIB NO. ZSM2526A0539, UBN NO. ZSM2526WSOB00605

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत आदलवाडाकलां
पं.स. चौथ का बरवाडा (स.मा.)

प्रशासक
ग्राम पंचायत आदलवाडाकलां
पं.स. चौथ का बरवाडा (स.मा.)

COLLEGE OF AGRICULTURE

(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY) Kumher, Distt. - Deeg, PIN- 321201

No. : F. /Farm/COA-K/2025/5080 Dated :- 04/09/2025

NOTICE INVITING BID

Bid for open tender regarding Share Farming are invited from interested bidders up to 11.30 AM of 16.09.2025 and the tender will be opened on 16.09.2025 at 01.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **(http://sppp.raj.nic.in)** of the Rajasthan state; and **www.sknau.ac.in** University Website.

NIB Code : SKN2526A0202

UBN : SKN2526SSOB00203

Raj.Samwad/C/25/9520

DEAN

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर

क्रमांकः LU2012/SWM/2022-23/100096 **लोक सूचना** दिनांकः 09/09/2025

श्री BADRI पुत्र श्री DHANNA MEENA जाति MEENA निवासी JAMOOL KHERA SAWAI MADHOPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	जमूल खेड़ा, सवाईमाधोपुर (सवाई माधोपुर)	BADRI	248	3300	0.33
				कुल	0.33

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09-09-2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर

होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम 2025-2026
खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जूनियर विज्ञान में

कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक सभी छात्रों को 22 और 23 नवंबर, 2025 को भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ (आईएपीटी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मानक परीक्षा (एनएसई) (विज्ञान विषयों के लिए) में उपस्थित होना होगा।

एनएसई में योग्यता प्राप्त करना 2026 के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने की दिशा में पहला कदम है।

नामांकन करना: एनएसई: https://www.iapt.org.in (21 अगस्त 14 सितंबर, 2025)

अधिक जानकारी के लिए: https://olympiads.hbcse.tifr.res.in https://www.iapt.org.in

CBC 48143/12/0807/2526